

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6-7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) मुकाम सिवाना (बाडमेर) व
इजलास कुसुमलता चौहान आर.ए.एस.

राजस्व प्रकरण संख्या 73/2013

वादी:-

चुन्नीलाल पुत्र श्री मंगलाराम जाति राजपुरोहित साकिन लुदराडा तहसील सिवाना
जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगण:-

1. शान्तिदेवी पत्नी श्री गोपालराम कौम पुरोहित
2. पितेष कुमार पुत्र श्री गोपालराम कौम पुरोहित
नाबलिंग जरिये कुदरती वली माता शान्तिदेवी
3. वजा पुत्र श्री जोगाराम कौम दर्जी
4. हड़मान पुत्र श्री जोगाराम कौम दर्जी
5. मोहन पुत्र श्री जोगाराम कौम दर्जी
निवासीयान लुदराडा तहसील सिवाना जिला बाडमेर

वाद हेतु अधिकार बंटवाडा,स्थाई निषेधाज्ञा एवं रेकर्ड दुरुस्ती

निर्णय दिनांक : -21.01.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हाजरी अधिवक्ता श्री ओमसिंह
राजपुरोहित मिनजानिव मुद्दई व मिनजानिव मुद्दायलह वकील श्री कपिल श्रीमाली पेश होकर
हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादीगण का वाद जरिये राजीनामा स्वीकार
किया जाकर राजीनामा के संलग्न परिशिष्ट 'क' के अनुरूप वादी व प्रतिवादीगण को वादग्रस्त
भूमि खेत खसरा संख्या 417/129 में आवगमन हेतु 2 गट्टा चौडाई में रास्ता दर्ज करते हुये
तहसीलदार सिवाना को राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करने का आदेश दिया जाता है। खर्चों
पक्षकारन अपना-अपना वहन करे।

बसब्ल मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21.01.2022 को जारी की गई।
संलग्न:- परिशिष्ट 'क'

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर (S.D.O.)

(S.D.O.) सिवाना

दिनांक : 21.01.2022

क्रमांक: वाचक/2022/126

प्रतिलिपि : वास्ते पालनार्थ।

भूमिधारक तहसीलदार, सिवाना



(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर (S.D.O.)

सिवाना
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना